191

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय

कमांकःप.(जी—19)निकृवि/नियं./निय. अधि. संशो./16/ 43789-934 जयपुर, दिनांक 18.03.16

क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
समस्त

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त

विषय :— नई उपविधि सम्मिलित करने के संबंध में।

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कृषि उपज मण्डी समितियों को वर्तमान उपविधि संख्या 2(5) के पश्चात् एवं उपविधि संख्या 2(6) से पूर्व निम्न नवीन उपविधि सम्मिलित की जाती है :—

2 (5क) "खुली नीलामी" — से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें विज्ञप्त कृषि जिन्स का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निम्न रीति में से उच्चतम स्तर पर स्वीकार किया जांये —

(i) व्यक्तियों द्वारा मुख आवाज से बोलियां प्रस्तावित की जाये, या

(ii) ऑन लाईन इण्टरनेट के उपयोग से विभिन्न भौगोलिक स्थानों से नीलामी सोफ्टवेयर का उपयोग करते हुये बोली प्रस्तावित की जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समितियों की उपविधियों में उपरोक्तानुसार उपविधि के समावेश का मण्डी समिति का प्रस्ताव पारित कर उपरोक्त प्रावधान को सम्मिलित किया जावे तथा इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव का निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा पूर्व अनुमोदन किया जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
निदेशक,
कृषि विपणन